

Agreement copy between NPP Etawah & Contractor for door to door waste collection

ANNEXURE 5.2.1



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत नगरीय अपशिष्ट के संग्रहण प्रथक्करण
एवं परिवहन कार्य कराये जाने हेतु

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्ष—नगर पालिका परिषद, इटावा शहर व जनपद इटावा
द्वारा अधिकारी अधिकारी नगर पालिका परिषद, इटावा।

एवं.

द्वितीय पक्ष—एकार्ड हाइड्रोएयर प्राप्ति०, 3 / 153 विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उ०प्र०)
साइट आफिस—कामेत, इटावा

द्वारा—अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता—एकार्ड हाइड्रोएयर प्राप्ति०

यह कि उपर पक्ष निम्नलिखित अनुबन्ध करते हैं।

1. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा दिनांक 23.09.2017 दिए गये पत्र प्रस्ताव के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट संग्रहण, प्रथक्करण व परिवहन कराये जाने हेतु निर्मत शासनादेश के अनुपालनार्थ उक्त कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु प्रतापित दर रु० 650.00 प्रति टन पर कार्य करने हेतु प्रथम पक्ष सहमत हैं।
2. यह कि कूड़ा एकत्रण एवं परिवहन निरस्तारण के कार्य हेतु आवश्यक वाहन प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को उपलब्ध कराये जायेंगे—

क्र०सं०	वाहनों का विवरण	नग
1	लोडर	03
2	ट्रैक्टर मयौद्राली	02
3	जे०सी०वी०	आवश्यकतानुसार
4	ट्रिपर	03
5	टाटा एस	आवश्यकतानुसार
6	बोयकेट (स्टीयर लोडर)	01
7	हाथ गाड़ी रिक्षा	50
8	हाथ गाड़ी	आवश्यकतानुसार
9	रिफ्यूज कलैक्टर, डिब्बे सहित यथारित	01
10	डम्पर ल्यैसर, डिब्बे सहित यथारित	01

3. प्रथम पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन/उपकरण पूर्णता चालू हालात एवं सम्बन्धित उपकरण एवं कूड़े के ढुलान, निस्तारण हेतु प्रयुक्त होना अनिवार्य होगा।



क्रमांक....2
3/12/17


ANNEXURE 5.2.1




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 640816

4. यह कि पालिका द्वारा चालू रिथ्ति में जो वाहन व कन्टेनर/डिब्बे द्वितीय पक्ष को उपलब्ध कराये जायेंगे वह चालू रिथ्ति में ही द्वितीय पक्ष से वापस लिये जायें। एवं टूट-फूट व मरम्मत की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
5. यह कि अनुबन्ध में वाहनों/उपकरणों के मेन्टीनेस, डीजल, मोबाइल आयल का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा एवं गमय—समय पर वाहनों की सर्विस भी करवाना अनिवार्य होगा।
6. यह कि दुलान व डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्रीकरण/प्रथककीकरण हेतु आवश्यक श्रमिकों की नियुक्ति/वेतन इत्यादि का भुगतान का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
- ✓ 7. यह कि द्वितीय पक्ष को कूड़े को डोर-टू-डोर कलेक्शन/एकत्रीकरण व कूड़े प्रथककीकरण कर दुलान कर निरसारण हेतु प्लान्ट पहुँचाना अनिवार्य होगा। इसी के साथ वार्डवार भवनों की सूची नाम सहित क्रमवार पालिका को उपलब्ध करानी होगी जिससे यूजर चार्ज के प्रेषित बिलों की कार्यवाही एवं यूजर चार्ज वसूली की कार्यवाही नगर पालिका द्वारा सुनिश्चित की जा सके।
8. यह कि द्वितीय पक्ष अपने कर्मचारियों को इस निर्देशन से डोर-टू-डोर कलेक्शन का कार्य करावेगा कि वह कार्य क्षेत्र में प्रत्येक भवन स्थानियों को नीले डिब्बे व हरे डिब्बे में अलग—अलग कूड़े रखने की जानकारी देगा। उक्त कर्मचारी समय निर्धारित कर कार्यक्षेत्र में पहुँचकर सीटी बजाकर कूड़ा उठायेगा।
9. यह कि प्रथम पक्ष पालिका में उक्त कार्ययोजना से सम्बन्धित सूचनार्थ रखे पर्चा/पम्पलेटों को द्वितीय पक्ष प्राप्त कर अपने कर्मचारियों से घर—घर वितरण कराना सुनिश्चित करेगा।
10. यह कि द्वितीय पक्ष को कूड़े के दुलान व डोर-टू-डोर एकत्रीकरण व प्रथककीकरण के कार्य का माह समाप्ति उपरांत बीजक बिल अगले माह के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करना होगा। पालिका द्वारा प्रेषित बिल का परीक्षण कर 10 दिनों अन्दर द्वितीय पक्ष को भुगतान किया जाएगा। जिससे दुलान व डोर-टू-डोर एकत्रीकरण व प्रथककीकरण का कार्य वित्तीय कारणों से प्रभावित न हो सके।
11. यह कि उक्त कार्य में आने वाली आकस्मिक समस्याओं/कठिनाईयों का समाधान दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमति से निरसारण किया जायेगा।
12. यह कि अनुबन्ध आलेख पत्र पर हस्ताक्षर की तिथि से दो वर्ष तक प्रभावी होगा तत्पश्चात आपसी सहमति से अनुबन्ध की अवधि बढ़ाई जा सकती है एवं समय से पूर्व कार्य छोड़ने पर फर्म को ब्लैक लिस्ट किए जाने की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी व जमा बधांक धनराशि को जब्त कर लिया जाएगा।
13. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा विनिहत कूड़ा रथलों पर ही द्वितीय पक्ष द्वारा डोर-टू-डोर किया गया कूड़ा कलेक्शन परवहन/दुलान किया जा सकेगा।
14. यह कि कूड़े वजन हेतु एक कर्मचारी नगर पालिका परिषद इटावा से अधिकत नियुक्त किया जायेगा। तथां एक कर्मचारी द्वितीय पक्ष का होगा। काठे की रसीद दोनों कर्मचारियों के हस्ताक्षर के बाद ही मान्य होगी।



ANNEXURE 5.2.1



ANNEXURE 5.2.1

—4—

26. यह कि कार्यरत सफाई श्रमिकों को वेश—भूषा/ड्रेस व सुरक्षा से सम्बन्धित सभी उपकरण द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा एवं विना वर्दी के कोई भी सफाई श्रमिक कार्य नहीं कर सकेगा।
27. यह कि श्रमिकों के किसी भी प्रकार के वेतन व अन्य भत्ते, मेडिकल सुरक्षा सम्बन्धी व्यय भार एवं रजिस्ट्रेशन आदि की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
28. यह कि द्वितीय पक्ष को प्रतिदिन दो पालियों में (प्रथम पाली में प्रातः समय एवं द्वितीय पाली सांयकाल) सफाई करायी जानी अनिवार्य होगी।
29. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को प्राप्त कराये गये समस्त वाहनों को पालिका द्वायु चिन्हित किए गये स्थानों पर ही कार्य समाप्ति के बाद खड़े किया जाना अनिवार्य होगा।
30. यह कि नगर पालिका द्वारा भविष्य में पेट्रोल पम्प खोलने की योजना है, पेट्रोल पम्प खुलने के उपरांत द्वितीय पक्ष को प्रयोग हेतु समस्त ईंधन नगर पालिका के पम्प से ही लेना होगा। एवं जिसका भुगतान द्वितीय पक्ष को समय से करना होगा।
31. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा नगरीय अपशिष्ट के संग्रहण, प्रथक्कीरण व परिवहन कार्य संतोषजनक न करने पर द्वितीय पक्ष के विरुद्ध वैज्ञानिक कार्यवाही करते हुए किसी भी समय अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष के सक्षम अधिकारी में निहित होगा।
32. यह कि किसी भी समय प्रथम पक्ष को आवश्यकता पड़ने पर द्वितीय पक्ष को वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
33. यह कि द्वितीय पक्ष प्लान्ट पर कूड़ा ले जाकर वैज्ञानिक विधि से कूड़े का निस्तारण मानकों के अनुरूप करेगा एवं बनाई गई खाद का विक्रय नियमानुसार करेगा।
34. यह कि प्लान्ट को सुव्यवसिथ रखते हुये उसका संचालन विधिवत रखना अनिवार्य होगा। उक्त प्लान्ट का निरीक्षण उच्च अधिकारियों के भ्रमण दौरान किसी भी समय किया जा सकेगा।
35. प्रथम पक्ष या द्वितीय पक्ष द्वारा किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर न्यायालय क्षेत्र इटावा ही होगा।

अतः इकरार नामा (अनुबन्ध पत्र) लिख दिया। ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष

27/10/17

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष



Nagar Palika Parishad
Etawah

ANNEXURE 5.2.1

Self -Declaration

To whom so ever, it may concern

It is certified that in Nagar Palika Parishad Etawah, the door to door waste collection is 100% (Approx.) of total houses in all 40 wards.


EXECUTIVE OFFICER
Nagar Palika Parishad
Anil Kumar
Singh
Executive Officer
Nagar Palika Parishad Etawah